नगर निगम, अजमेर

क्रमांक :

प्रपत्र

विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र नगर निगम, अजमेर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधित उपविधि 2017 के अन्तर्गत

श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी
नगर निगम, अजमेर

विषय : विवाह स्थल हेतु नवीन अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

1. विवाह स्थल का नाम : ....
2. संचालक/मालिक/अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....
3. संचालक/मालिक का पता व.मोबाईल/दूरभाष नं. : ....
   : ....
4. फैक्स/ई–मेल का पता : ....
5. विवाह स्थल का पूरा पता : ....
   : ....
6. विवाह स्थल (भूखण्ड/भवन) का सम्पूर्ण क्षेत्रफल (बाहरी परिधीय क्षेत्र के अनुसार) : ....
   : ....
7. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र : ....
8. भूखण्ड/भवन मालिक का सहमति प्रमाण पत्र जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित किया गया हो। : ....
9. भूखण्ड/भवन मालिक के स्वामित्व से सम्बन्धित नोटरी पब्लिक से प्रमाणित दस्तावेज : ....
10. विवाह स्थल का ले–आउट नक्शा प्लान उपविधि के बिन्दु संख्या 4(2) में दी गयी शर्तो को सुनिश्चित करते हुये : ....
11. अन्य विवरण : ....

मैंने नगर निगम, अजमेर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधित उपविधि–2017 का अवलोकन/अध्ययन कर लिया हैं। मैं इन उपविधियों से पाबंद रहूंगा। उक्त विवाह स्थल का (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र जारी करने का कष्ट करें।

(विवाह स्थल संचालक/मालिक के हस्ताक्षर)
दिनांक

नगर निगम, अजमेर

समारोह स्थल पर दिनांक................. की स्थिति अनुसार पंजीयन हेतु संलग्न चैक लिस्ट

समारोह स्थल का नाम व पता...

क्र.स	मापदण्ड (प्रमाण पत्र फोटोग्राफ संलग्न करें)	संलग्न हैं/नहीं (पृष्ठ सं.)
1.	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (4.1)	
2.	कम्प्यूटराइज्ड ले–आउट प्लान प्रस्तुत करे (4.2) (जिसमें दो गेट, पार्किंग क्षेत्र, निर्मित शोचालय/मुत्रालय, परिसर का नाप व कुल क्षेत्रफल, सडक की चौडाई इत्यादी दर्शाना आवश्यक हैं।	
3.	महिला व पुरूष हेतु पृथक पृथक शौचालय मूत्रालय	
4.	अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था (प्रमाण पत्र)	
5.	आवेदित स्थल में कुल व्यक्तियों की क्षमता/संख्या का विवरण	
6.	आने व जाने के 2 रास्ते (गेट)	
7.	सडक चौडाई (A) 2500 वर्गगज तक के समारोह स्थल हेतु 30 फुट (B) 2500 वर्गगज से अधिक के समारोह स्थल हेतु 40 फुट (C) पुरानी धर्मशालाऐं जो वर्ष 2010 या उससे पूर्व की स्थापित है, सडक चौडाई यथास्थिति रहेगी (प्रमाण पत्र/ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8.	कचरा संग्रहण हेतु दो बडे कचरा पात्र (क्षमता 4.5 क्यूबिक मीटर) की व्यवस्था व गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था)	
9.	बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार इमरजेन्सी लाईट (जनरेटर) की व्यवस्था	
10.	वाटर, हारवेस्टिंग की व्यवस्था	
11.	(A) स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति	
	(B)किरायेदार हैं तो इकरारनामे की नोटेराईज्ड प्रति	
12.	विवाह स्थल की अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो की पालना करने का शपथ पत्र (100/– रू. के नाम ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)	
13.	विवाह समारोह स्थल का कुल क्षेत्रफल	
14.	पार्किंग स्थल का क्षेत्रफल (कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 25 प्रतिशत होना आवश्यक हैं।ले–आउट नक्शा प्लान में दर्शाना आवश्यक है)	
15.	क्या आस पास 100 फुट परिधि दूरी तक शिक्षण संस्थाए तथा अस्पताल चलते हैं। (रात्रिकालीन)	

लगातार...

16	तकनीकी अभियता, नगर निगम का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र	
17.	विवाह समारोह स्थल पत्रावली पंजीयन शुल्क जमा की पावती रसीद प्रति संलग्न करे (निम्नलिखित क्षेत्रफल अनुसार)।	
	(A) 1000 व.मी. तक के विवाह स्थल – 10,000/– रू.	
	(B) 1000–1500 व.मी. तक के विवाह स्थल – 20,000/– रू.	
	(C) 1500–2500 व.मी. तक के विवाह स्थल – 30,000/– रू.	
	(D) 2500–5000 व.मी. तक के विवाह स्थल – 50,000/– रू.	
	(E) 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल – 60,000/– रू.	

नाम व हस्ताक्षर
समारोह स्थल संचालक/मालिक
मोबाईल नं.

नगर निगम, अजमेर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधित उपविधि 2017 के नियम 4(5) के अन्तर्गत

शपथ पत्र (रू. 100 स्टाम्प पेपर पर)

1. मै...पुत्र/पुत्री श्री... निवासी......................... .... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा विवाह समारोह स्थल का नाम...........................जिसका पता... हैं। मैं मेरे उक्त विवाह समारोह स्थल के पंजीयन हेतु निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

2. यह कि उक्त विवाह समारोह स्थल का मैं पंजीयन करवा रहा हूँ। जिसके अन्तर्गत विवाह समारोह स्थल के उपयोग में आने वाली भूमि जिसका क्षेत्रफल.................... वर्गगज हैं।

3. यह कि इसकी राशि नियमानुसार मैं निगम कोष में जमा करा रहा हूँ। मेरे द्वारा जो राशि वर्गगज के हिसाब से जमा करवाई जा रही हैं, जिसके लिए मेरे द्वारा आवेदित भूमि स्थल की रजिस्ट्री/पट्टा की छाया प्रति उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके उपरान्त भी उपयोग में आने वाला क्षेत्र की भूमि अधिक पाई जाती हैं तो उसकी जांच उपरान्त उपविधि नियम 14 के अन्तर्गत नगर निगम, अजमेर मेरे विरूद्ध कार्यवाही कर सकेगी।

4. यह कि मोके की स्थिति में बताये गये चैकलिस्ट क्रम सं. 01 से 17 तक कॉलम सही भरे गये हैं इसमें कोई तथ्य को छुपाया नहीं गया हैं।

5. यह कि समारोह स्थल में प्रवेश व निकासी के पृथक–पृथक दरवाजे हैं।

6. यह कि वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था की हुई हैं/वाटर हारवेस्टिंग 1 माह में पूर्ण कर नगर निगम को सूचित कर दूंगा।

7. यह कि समारोह स्थल के अन्दर आवेदन–पत्र में बताये अनुसार पार्किंग क्षमता स्वंय की विकसित (परिसर के 25 प्रतिशत क्षेत्र में) की जाकर पार्किंग स्थल का बेरिकेट्स कर समुचित व्यवस्था कर दी गई हैं। जिसकी छाया चित्र फोटो प्रस्तुत हैं। समारोह स्थल के बाहर सडक के किनारे वाहनो की पार्किंग नहीं की जाएगी। बारात के जुलूस के समय यातायात को बाधित नहीं होने दिया जाएगा।

8. यह कि सुरक्षा के आवश्यक प्रबन्ध पूर्ण किये हुए हैं। प्रतिवर्ष नगर निगम के तकनीकी अभियंता द्वारा भवन सुरक्षित हैं तथा जान माल का खतरा नही हैं, इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करूंगा। विवाह स्थल में सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

9. यह कि अग्निशमन के यंत्र यथा स्थान पर लगा दिये गये हैं। जिनके फोटो एवं फायर विभाग की एन.ओ.सी. की प्रति संलग्न हैं

10. यह कि आवश्यक हिदायते व सूचनाएं परिसर के बाहर बोर्ड लगाकर अंकित कर दी गई हैं।

11. यह कि निर्धारित क्षमता के दो कचरा पत्र/कन्टेनर स्वंय के खर्चे से यथा स्थान पर लगा दिये गये हैं एवं गंदे पानी के निकास की पर्याप्त व्यवस्था हैं।

12. यह कि ध्वनि प्रदूषण के नियमो का पालन जिला प्रशासन/नगर निगम/राज्य सरकार के दिशा–निर्देशो अनुसार किया जायेगा।

13. यह कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विवाह समारोह स्थल के पंजीयन व अनुज्ञा/संचालन बाबत् किए जाने वाले संशोधन मुझे मान्य होंगे तथा मैं इनकी पूर्णतया पालना हेतु वचनबद्व रहूँगा।

14. यह कि मेरे द्वारा उपरोक्त बिन्दूओ में दी गई सभी सूचनाऐं सही हैं। यदि भविष्य में कोई स्वामित्व सम्बन्धि वाद विवाद उत्पन्न होता हैं अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी झूठी पायी जाती हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वंय की रहेगी एवं नगर निगम मेरे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

स्थान :

दिनांक : शपथकर्ता

(सत्यापन)

मैं................................पुत्र/पुत्री श्री...................................... उक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि बिन्दू संख्या 01 से 14 तक समस्त कथन सही व सत्य हैं।

अजमेर :–

दिनांक : शपथकर्ता

दो कचरा पात्र का विवरण

Technical Specification of Container 4.5 Cum capacity

S.NO.	NOMENCLATURE	DESCRIPTION
1.	Capacity	4.5 Cubic Meter
2.	Material	M.S. Sheet
3.	Bottom Inside	4.0 MM
4.	Rest	3.0 MM
5.	Stiffener	Channel 75X40 MM Angle 35X35X5 MM
6.	Window	Open able Close Type 04 Nos.
7.	Overall Length	3255 mm
8.	Overall Width	1366 mm
9.	Overall Height	1285 mm
10.	Tail Gate	Hinged Type Tail Gate at Rear
11.	Paint	Outer Finish : 1 coat of Red oxide & 2 Coat of synthetic enamel Colour. Inner Finish : 1 coat of Red oxide and 1 Coat of anti corrosive paint.

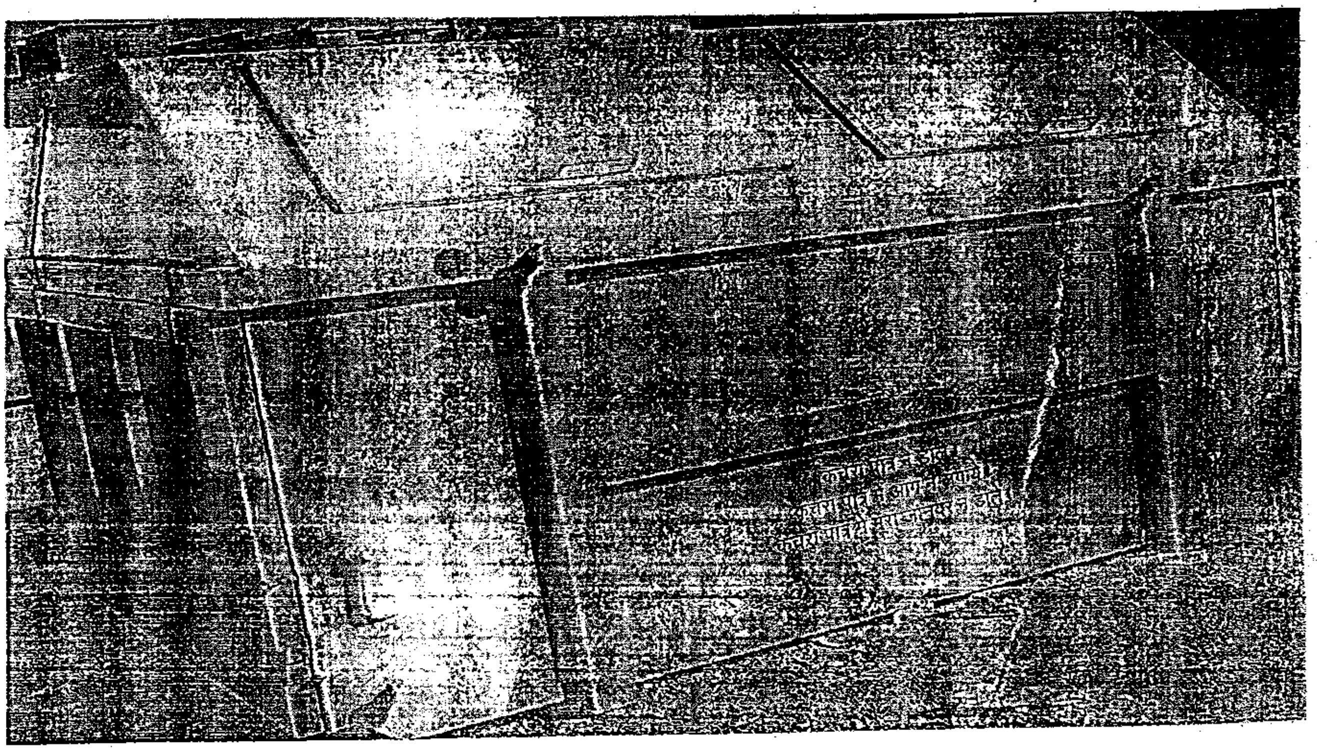

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145 -2429971, 2429920

ईमेल आईडी :— ajmermc@gmail.com वेबसाईट :— www.ajmermc.org

नवीनीकरण — प्रपत्र

विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत् आवेदन पत्र नगर निगम अजमेर विवाह स्थल का पंजीयन संशोधन उपविधि 2017 के अन्तर्गत नवीनीकरण आवेदन पत्र :—

श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी,
नगर निगम, अजमेर

विषय :— विवाह स्थल का वर्ष 2020—21 हेतु नवीनीकरण अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

1	विवाह समारोह स्थल का नाम	:—	....
			....
2	संचालक / मालिक / अधिकृत व्यक्ति का नाम	:—	....
3	संचालक / मालिक का पता व मोबाईल / दूरभाष नं.	:—	....
4	फैक्स / ई—मेल का पता	:—	....
5	विवाह स्थल का पूरा पता	:—	....
			....
6	विवाह समारोह स्थल का जारी	:—	....
	(A) प्रमाण पत्र क्रमांक	:—	....
	(B) लाईसेंस संख्या	:—	....
7	विवाह स्थल (भूखण्ड / भवन) का सम्पूर्ण क्षेत्रफल (बाहरी परिधीय क्षेत्र के अनुसार)	:—	....
8	अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण—पत्र (संलग्न करें)	:—	....
9	अन्य विवरण	:—	....

मैंने नगर निगम, अजमेर (विवाह समारोह स्थल का पंजीयन) संशोधित उपविधि—2017 का अवलोकन / अध्ययन कर लिया गया है। मैं इन उपविधियों से पाबन्द रहूंगा। उक्त विवाह समारोह स्थल का (उपयोग एवं उपभोग) नवीनीकरण अनुमति पत्र जारी करने का कष्ट करें। गत वर्ष मेरे द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेज, शपथ पत्र एवं मानचित्र प्लान से पाबन्द रहूंगा एवं पूर्व की शर्तों का यथावत पालन करूंगा।

(विवाह समारोह स्थल
संचालक / मालिक के हस्ताक्षर)
दिनांक :—

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 22, बुधवार, शाके 1939–सितम्बर 13, 2017
Bhadra 22, Wednesday, Saka 1939–September 13, 2017

सत्यमेव जयते

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

नगर निगम अजमेर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधित उपविधि 2017

नगर निगम अजमेर (विवाह स्थल पंजीयन) उपविधि 2010 जो राजपत्र में दिनांक 6 अप्रेल 2011 को प्रकाशित है। उक्त उपविधि के संशोधन हेतु नगर निगम अजमेर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 30.05.2017 में लिये गये निर्णय तथा स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक : प. 8(ग) ( ) नियम/डीएलबी/17/29609 दिनांक 20-07-2017 द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 340 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, अजमेर विवाह स्थल पंजीयन उपविधि 2010 के नियमों में संशोधन करते हुए विवाह स्थल का पंजीयन संशोधित उपविधि 2017 बनाती है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी:-

1. शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव :-

(क) ये उपविधि नगर निगम अजमेर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधित उपविधि 2017 कहलायेगी।

(ख) ये उपविधि तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी।

(ग) ये उपविधि नगर निगम, अजमेर की सम्पूर्ण सीमा एवं पेराफेरी क्षेत्र में प्रभावशील होगी।

2. शाब्दिक परिभाषाऐं :-

जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरितता न हो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगी :-

(1) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका, अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) से है।

(2) उपयोग व उपभोग अनुमति से तात्पर्य विवाह स्थल पर इन उपविधियों के अन्तर्गत उपविधि 2 के खण्ड (5) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने वाली अनुमति से है।

(3) अनुमति प्राप्तकर्ता या आवेदनकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल पंजीयन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

(4) प्राधिकृत अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम, अजमेर के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी (वर्तमान में आयुक्त) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से होगा। प्राधिकृत अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल की अनुमति एवं संचालन की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

(5) विवाह स्थल से तात्पर्य नगर निगम, अजमेर की सीमा में एवं पेराफेरी बेल्ट में स्थित ऐसे समस्त भूखण्डों/फार्मों/ सामुदायिक केन्द्रों/भवनों/क्लबों/बैंक्वट हॉल/धर्मशालाओं इत्यादि से है जो सगाई, शादी, जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह/उत्सव/प्रदर्शनी/कन्वेशन/गरबा उत्सव/ नववर्ष/आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते है।

(6) ऐसे भूखण्ड/भवन जिनका रूपांतरण/आवंटन व्यावसायिक/पर्यटन/संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया है, परन्तु आवंटन की शर्तो में भूखण्ड/भवन का उपयोग उपविधि 2 के खण्ड (5) में दर्शाये गये विभिन्न सामाजिक प्रयोजनार्थ को सम्मिलित नही किया गया है तो ऐसे समस्त भूखण्डधारी/भवन मालिक को "विवाह स्थल" पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।

(7) पुरानी धर्मशाला से तात्पर्य वर्ष 2010 या उससे पूर्व की स्थापित धर्मशालाओं से है।

3. निषेद्ध :-

नगर निगम,अजमेर की सीमा एवं पेराफेरी बेल्ट में कोई भी व्यक्ति, संस्थान [illegible] की अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ [illegible] [illegible]ह स्थलों के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया [illegible] अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4. अनुमति पत्र प्राप्ति की प्रणाली :–

कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी जो नगर निगम ,अजमेर सीमा एवं पेराफेरी [illegible] में स्थित भूखण्ड/भवन/फार्म हाउस का उपयोग विवाह स्थल/अन्य प्रयोजनार्थ करना चाहता [illegible] अथवा इन उपविधियों के प्रभावी होने से पहले ही स्थल का उपयोग उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा [illegible] उसे :–

(1) नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

(2) विवाह स्थल का कम्प्यूटराईज्ड प्लान/ले–आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा:–

(क) महिला व पुरूष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अलग–अलग पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय।

(ख) भवन विनियमों में निर्धारित अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था करके सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता।

(घ) आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान में आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पूर्व दूसरे रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा।

(ड) न्यूनतम सड़क की चौड़ाई :–

(1) 2500 वर्गगज तक के समारोह स्थल के लिए 30 फुट

(2) 2500 वर्गगज से अधिक के समारोह स्थल के लिए 40 फुट

(3) पुरानी धर्मशालाओं के लिए सड़क की चौड़ाई यथा स्थिती रहेगी तथा नई धर्मशालाएं बनने पर उपरोक्त बिन्दू (1) व (2) के प्रावधान लागू होंगे।

(च) कचरा संग्रहण एवं गंदे पानी के निकास की व्यवस्था की जावेगी ।

(छ) बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्था तथा इमरजेंसी लाईट की पर्याप्त व्यवस्था।

(ज) वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था।

(झ) हलवाई/कैटरिंग/अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण, पार्क, लेण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जनरेटर सैट व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थल इंगितिकरण इत्यादि।

(ट) पार्किंग स्थल के लिए विवाह समारोह स्थल की कुल भूमि का 25 प्रतिशत भाग छोड़ना होगा तथा प्रस्तुत नक्शे में 25 प्रतिशत पार्किंग क्षेत्र दर्शाना अनिवार्य होगा। पार्किंग स्थल का बोर्ड 3 गुणा 2 फिट का प्रदर्शित करना होगा।

(ठ) विवाह स्थल के परिसर का स्थायी एवं अस्थायी निर्माण पूर्णतया सुरक्षित है तथा जान–माल का खतरा नहीं है, इस आशय का प्रति वर्ष प्रमाण पत्र नगर निगम के तकनीकी अधिकारी से प्राप्त करना होगा।

(3) संबंधित भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की नोटेराईज प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(4) यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित में हुए इकरारनामा एवं एम.ओ.यू./अन्य कानूनी दस्तावेज, जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है ,उसकी नोटराईज्ड प्रतिलिपी संलग्न करनी होगी।

(5) अनुमति प्राप्तकर्ता को विवाह स्थल की अधिसूचना (भूखण्ड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों का उसके द्वारा अक्षरशः पालन किया जावेगा इस हेतु 100/– का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) आवेदन पत्र के साथ पंजीयन शुल्क की राशि जमा करानी होगी। पंजीयन शुल्क की रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

समस्त वांछित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् नगर निगम, अजमेर के प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जाँच की जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नही दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा।

5. प्रक्रिया :–

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पहली बार नया विवाह स्थल पंजीयन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवाई जावेगी। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) का पंजीयन जारी किया जा सकेगा। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवाई की जाकर प्रकरण का निस्तारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पूर्व में स्थापित लाईसेंस विवाह स्थलों के संबंध में भी यही प्रक्रिया लागू होगी।

6 (क) भूमि/भवन स्वामित्व की जाँच :-

यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हो या वांछित दस्तावेज जाँच में सही नही पाये जाये तो उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि को लौटाया नहीं जाएगा। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।

7. अपील :-

विवाह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी कारण अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी आपत्ति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 में निम्नानुसार गठित समिति को की जा सकेगी :-

1. आयुक्त
2. तकनीकी अधिकारी
3 क्षेत्रीय पार्षद

8. आवेदन/स्वीकृत/अस्वीकृत करने की सीमा:-
नगर निगम, अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने के 45 कार्य दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्रतिबंधित क्षेत्र :-

(अ) ऐसे स्थान जहां पर सरकारी/ गैर सरकारी अस्पताल, रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाए इत्यादि संचालित हो ऐसे स्थान से 100 फीट की परिधि में समारोह स्थल का संचालन प्रतिबंधित होगा।

(ब) राज्य सरकार के निर्देशों पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर नगर निगम, अजमेर सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

(स) निर्धारित समय रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं नगर-निगम द्वारा ध्वनि यंत्रों के संबंध में जारी निर्देशों/प्रतिबंधों की पूर्ण पालना करनी होगी।

10 विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजीयन एवं अनुमति शुल्क :-

(अ) इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल पर क्षेत्रफल के अनुसार पंजीयन शुल्क प्रति वर्ष के लिये निम्न प्रकार से देय होगा, जिसमें 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाकर लिया जाएगा :-

(1) 1000 व.मी. तक के विवाह स्थल - 10,000/- रूपये
(2) 1000-1500 व.मी. तक के विवाह स्थल - 20,000/- रूपये
(3) 1500-2500 व.मी. तक के विवाह स्थल - 30,000/- रूपये
(5) 2500 से 5000 व.मी. तक के विवाह स्थल - 50,000/- रूपये
(6) 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल - 60,000/- रूपये

(ब) विवाह स्थल उपयोग का अनुमति शुल्क 25/- रूपये प्रतिवर्गगज प्रतिवर्ष से देय होगा:-

(स) उपरोक्त (अ) व (ब) शुल्क वित्तीय वर्ष के अनुसार देय होंगे यदि विवाह स्थल वित्तीय वर्ष के मध्य में स्थापित किया जाता है तो भी पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा। उपरोक्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क एवं विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति शुल्क नगरीय निकाय को देय किसी भी अन्य शुल्क/कर इत्यादि के अतिरिक्त होगा।

नोट :-उपविधि 10 के खण्ड (अ) व (ब) के अन्तर्गत जमा कराई गई शुल्क की राशि नगर, अजमेर द्वारा आवेदनकर्ता को वापस नहीं लौटाई जावेगी।

नवीनीकरण :-

प्रत्येक वर्ष के पश्चात् समस्त दस्तावेजों के साथ विवाह स्थल पंजीयन का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा। जिसके लिए अनुमति प्राप्तकर्ता को पूर्ण पूर्तियों के साथ आवेदन करना होगा तथा भौतिक सत्यापन तकनीकी अधिकारी से कराना होगा इस हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा :-

(क) 01 फरवरी से 31 मार्च की अवधि में नगर, अजमेर द्वारा स्वीकृत विवाह स्थलों द्वारा अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नही करवाया जाता है तो प्रथम [illegible] माह तक देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ती एवं तत्पश्चात् प्रतिदिन [illegible] पर 100/- रूपये विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क शास्ती के रूप में [illegible] नवीनीकरण हेतु भौतिक सत्यापन तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

11. विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) का अनुमति पत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन हो[illegible]

(क) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक [illegible] जावेगें।

(ख) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा इसके संबंध में आवश्यक हिदायतें व सूचनायें वि[illegible] परिसर के बाहर बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी। सूचनाओं का निर्धारण एक[illegible] आधार पर स्थानीय किाय द्वारा किया जावेगा।

(ग) ध्वनि प्रदूषण के संबंध में अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राज्य सरकार/जिला प्रशा[illegible] नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी।

(घ) विवाह समारोह स्थल परिसर में 2 कचरा पात्र स्वंय के खर्च से बनाना अनि[illegible] जिसका टाइप डिजाईन नगर निगम से प्राप्त किया जाना होगा।

(ड) अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था कर एन.ओ.सी. प्राप्त करना अनिवा[illegible] जिसकी अनुमति शुल्क वार्षिक निम्न होगी।

1000 वर्गमीटर तक– 1000 रूपये।

1000–1500 व.मी. तक 2000 रूपये।

1500–5000 व.मी. तक 5000 रूपये।

5000 वर्गमीटर से अधिक 8000 रूपये तथा अग्निशमन [illegible] होगी।

(च) नगर निगम अजमेर द्वारा विवाह स्थल से कचरा उठा[illegible] शुल्क [illegible] किया गया है जो अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा।

500 वर्गमीटर तक – 10000 रूपये।

500–1000 वर्गमीटर तक–20000 रूपये।

1000–1500 व.मी. तक 30000 रूपये।

1500–5000 व.मी. तक 40000 रूपये।

5000 वर्गमीटर से अधिक 50000 रूपये।

(छ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के सुविधाजनक सुरक्षित [illegible] विवाह स्थल परिसर के 25 प्रतिशत [illegible] बेरिकेट्स आदि लगाकर पृथक से पार्किंग [illegible] अनुमति [illegible] विवाह स्थल से अनुमोदित ले–आउट प्लान में [illegible] की पालना सुनिश्चित करते हुए विवाह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ज) विवाह स्थल पर आकस्मिक दुर्घटना होने पर अग्निशमन यंत्रों को चलाने तथा ट्रेफिक की व्यवस्था हेतु चार प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड लगाने होंगे।

12 अभियोजन :–

नगर निगम, अजमेर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी से, विवाह स्थल का निरीक्षण कराया जा सकेगा। यदि उपयोग एवं उपभोग में निर्देशित शर्तों उपविधियों का उल्लघंन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सात दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित किया जावेगा । यदि नियत अवधि में अनुमति प्राप्तकर्ता पालना नही करता है तो अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया जाकर विवाह स्थल सम्पत्ति को सीज किया जाकर दोषी व्यक्ति संस्थान एवं कम्पनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

13 समझौता :–

न्यायालय में विचाराधीन अभियोजन को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित समिति या नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/समिति को अधिकार होगा।

14. उपविधियों का उल्लघंन :–

इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लघंन पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 10,000/– रूपये अर्थदण्ड दिया जाकर उपविधि सं. 12 के अन्तर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता के विरूद्व अमल में लाई जावेगी।

15 अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवाना :–

अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर निगम कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

16 अवैध विवाह स्थलों को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही :–

यदि किसी संस्थान अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के नगर निगम अजमेर सीमा तथा पेराफेरी बेल्ट में विवाह स्थल विद्यमान है अथवा शुरू किया जाता है तो उसे नगर निगम अजमेर द्वारा अवैध मान कर हटाया/सीज किया जा सकता है एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

17 जनरेटर रूम की व्यवस्था :–

नगर निगम, अजमेर क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों परिसर में जनरेटर सेट इस प्रकार लगाने होंगे जिसमें आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो एवं उनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो।

18. सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोक :–
नगर निगम , अजमेर क्षेत्र में स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मौहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोडा गया है। उनका उपयोग विवाह स्थलों हेतु नही किया जावेगा, न ही उन्हे अनुमति पत्र जारी किया जायेगा। उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी उपयोग में लिया जा सकेगा।

19 सामुदायिक केन्द्रों/सार्वजनिक धर्मशालाओं के विवाह स्थलों के उपयोग पर शुल्क राशि में छूट :–
भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है तथा सार्वजनिक धर्मशालाओं के पंजीकरण एवं अनुमति शुल्क हेतु उपविधि 10 एवं उपविधि 11 के अन्तर्गत निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में ली जावेगी, परन्तु ऐसे विवाह स्थल जिनका संचालन भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है को उपविधि 10 एवं उपविधि 11 से छूट होगी।

20 पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना :–
अनुमति प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर समारोह स्थल परिसर में सुनिश्चित करनी होगी। यातायात के संबंध में नगर , अजमेर एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जुलुस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा। किसी क्षेत्र में सड़क विशेष पर विवाह जुलुस को अनुमति देने हेतु प्रतिबन्धित भी किया जा सकेगा।

21 विवाह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंध :–
अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल की अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति पत्र की एक–एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिलाधीश को देनी आवश्यक होगी। नगर निगम, अजमेर द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को दृष्टिगत रखते हुए विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) हेतु जारी अनुमति पत्र किसी भी प्रकार की भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नही माना जावेगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भविष्य में संबंधित स्थल का भू–उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर संबंधित उपविधियों के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

22 नगर निगम अजमेर का सर्वाधिकार सुरक्षित :–
विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्वों का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा। नगर निगम द्वारा विवाह स्थल हेतु जारी अनुमति पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किये बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर निगम द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति–पूर्ति राशि देय नही होगी।

23 वर्तमान में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों को विवाह स्थल प्रोविजनल अनुमति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में :–
नगर निगम, अजमेर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर निगम, अजमेर के परिधीय क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित विवाह स्थलों एवं उपविधि 2 के खण्ड (6) में वर्णित अन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में लिए जा रहे स्थलों का सर्वेक्षण अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस की अवधि में कराया जाकर जोनवार/क्षेत्रवार सूची तैयार की जाकर उपविधि संख्या 10,11,12,13 एवं 14, के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

24 निरसन और व्यावृतियां :– इन उपविधियों के प्रर्वतन में आने के पश्चात पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेगी, लेकिन इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/विज्ञप्यिों के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियां प्रमावशाली होने के कारण अवैध नहीं समझा जाएगा।

हजारी राम सिरवी, उपविधि परामर्शी, नगर निगम, अजमेर।	पवन मीणा, राजस्व अधिकारी, नगर निगम अजमेर।	हिमांशु गुप्ता, आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।	धर्मेन्द्र गहलोत, महापौर, नगर निगम, अजम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।